प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के समक्ष रखने के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 समाविष्ट करते हुए, मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य एवं सामाजिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्रों के विभागों जिनमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आदिम जाति कल्याण, शिक्षा, जेल एवं सुधारात्मक सेवाऐं, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग सम्मिलित हैं, की अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है। तथापि आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभागों को छोड़ दिया गया है तथा आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों के प्रतिवेदन में समाहित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करने के दौरान जानकारी में आये तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परंतु जिन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया गया था। 2011-12 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा, सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय एक में लेखापरीक्षा की योजना तथा सीमा, प्रारूप कंडिकाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभागों के उत्तर का वर्णन है तथा इस प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सार सम्मिलित है। अध्याय दो में मध्य प्रदेश में जेलों का प्रबंधन और महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उल्लेख है। अध्याय तीन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और संस्कृति विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा के निष्कर्ष समाविष्ट हैं। अध्याय चार में विभिन्न विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष दिये गये हैं।